(S)

परिशिष्ट – "अ"

बिन्दु (क) की जानकारी

यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत शहर में वाहन द्वारा प्रचार– प्रसार कर यातायात नियमों एवं पम्पलेट वितरण का कार्य किया जाता है। शहर/देहातों के स्कूलों/विद्यालयों में छात्र–छात्रों को यातायात के नियमों के संबंध में समझाइश दी जाती है। एलसीडी प्रोजेक्टर के माध्यम से यातायात नियमों सम्बन्धी फिल्में दिखाई जाती हैं।

दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट, नाबालिग वाहन चालकों बिना लायसेंस एवं चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने की समझाइश दी जाती है एवं वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोग न करने के संबंध में समझाइश दी जाती है।

ब्रेथएनालाइजर

शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों का ब्रीथनाईजर से चैक करना, जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके एवं ब्रीथनाईजर द्वारा श्वांस परीक्षण कर नशे में वाहन न चलाने की समझाइश दी जाती है।

x ब्रेथएनालाइजर

कार्य/कार्यक्रमों का आयोजन

वर्ष 2015 दिनांक 05.01.15 से 15.01.15 सड़क सुरक्षा सप्ताह

वर्ष 2015 में 26वाँ सड़क सुरक्षा सप्ताह में दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चालकों को हेलमेट एवं सीट बेल्ट लगाने की समझाइश दी गई, शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों का ब्रीथनाईजर से चेक किया गया जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। दिनांक 12.01.15 को मुख्य अतिथि नगर निगम आयुक्त एवं शहर के गणमान्य नागरिक, परिवहन विभाग, चिकित्सा विभाग, समाचार के प्रतिनिधियों मीडिया के लोग एवं निबंध/चित्रकला प्रतियोगिता विजयी छात्र–छात्राओं को पुरूस्कार से सम्मानित कर शील्ड व स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र वितरित कर सड़क सुरक्षा सप्ताह समापन किया गया।

वर्ष 2016 दिनांक 11.01.16 से 17.01.16 सड़क सुरक्षा सप्ताह

ब्रेथएनालाइजर

वर्ष 2016 में 27वाँ सड़क सुरक्षा सप्ताह में दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चालकों को हेलमेट एवं सीट बेल्ट लगाने की समझाइश दी गई, शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों का ब्रीथनाईजर से चेक किया गया जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। दिनांक 17.01.16 को शहर के गणमान्य नागरिक परिवहन विभाग,चिकित्सा विभाग, ट्रक बस, ऑटो एसोसिएशन के अध्यक्ष, समाचार के प्रतिनिधि मीडिया के लोग एवं निबंध/चित्रकला प्रतियोगिता विजयी छात्र–छात्राओं को पुरूस्कार से सम्मानित कर शील्ड व स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र वितरित कर सड़क सुरक्षा सप्ताह समापन किया गया।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन

उप पुलिस अधीक्षक

......2

(6)

वर्ष 2017 दिनांक 09.01.17 से 15.01.17 सड़क सुरक्षा सप्ताह

28वाँ सड़क सुरक्षा सप्ताह में दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चालकों को हेलमेट एवं सीट बेल्ट लगाने की समझाइश दी गई, शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों का ब्रीथनाईजर से चेक किया गया जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके । तथा जबलपुर बायपास के टोल नाका में भारी वाहन लगभग 200 चालकों को यातायात के नियमों का प्रशिक्षण दिया गया एवं पूर्व चिन्हित ब्लैक स्पॉट जैसे चाका बायपास, सुरकी टैंक मोड़, पीर बाबा में डेलीनेटर, स्पीडपम्प भी लगवाये गये । दिनांक 15.01.17 को शहर के गणमान्य नागरिक, परिवहन विभाग, चिकित्सा विभाग, ट्रक बस, ऑटो एसोसिएशन के अध्यक्ष, समाचार के प्रतिनिधि एवं निबंध/चित्रकला प्रतियोगिता विजयी छात्र–छात्राओं को पुरूस्कार से सम्मानित कर शील्ड व स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र वितरित कर सड़क सुरक्षा सप्ताह समापन किया गया।

उप पुलिस अधीक्षक
पी.टी.आर.आई., पु. मु., भोपाल

ब्रेथएनालाइजर

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग

परिशिष्ट – "ब"

कटनी जिलें में नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग की विशेष भूमिका होती है। पुलिस विभाग द्वारा चौराहों/तिराहों में प्रचार वाहन के माध्यम से पैदल यात्रियों, दो पहिया, चार पहिया एवं ऑटो चालकों को यातायात के नियमों के बारे में समझाईश दी जाती है। शिक्षा विभाग द्वारा 15 स्कूलों/विद्यालयों में 2830 छात्र–छात्राओं को यातायात नियमों के बारे में एवं नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने की समझाईश दी जाती है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चार पहिया, ऑटो, बस–ट्रक चालकों का नेत्र परिक्षण भी किया जाता है। समाचार के प्रतिनिधियों मीडिया के द्वारा आम जनता को जागरूक करने के लिए प्रचार–प्रसार करती है।

कटनी में :– वर्ष 2015 में 26वॉं सड़क सुरक्षा सप्ताह में नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग का विशेष योगदान था । शिक्षा विभाग द्वारा 15 स्कूलों/विद्यालयों में 2830 छात्र– छात्राओं को यातायात नियमों के बारे में एवं नाबालिक बच्चों को वाहन न चलाने की समझाईश दी गई । स्वास्थ्य विभाग द्वारा चार पहिया ऑटो बस–ट्रक चालकों का नेत्र परीक्षण भी किया गया। चार पहिया वाहन में लगी काली फिल्म निकालने की समझाईश भी दी गई । चौराहों/तिराहों में प्रचार वाहन के माध्यम से पैदल यात्रियों, दो पहिया, चार पहिया एवं ऑटो चालकों को यातायात के नियमों के बारे में समझाईश दी गई।

वर्ष 2016 में 27वॉं सड़क सुरक्षा सप्ताह में नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग का विशेष योगदान था । शिक्षा विभाग द्वारा 20 स्कूलों/विद्यालयों में 2970 छात्र– छात्राओं को यातायात नियमों के बारे एवं नाबालिक बच्चों को वाहन न चलाने की समझाईश दी गई । स्वास्थ्य विभाग द्वारा चार पहिया, आटो, बस–ट्रक चालकों का नेत्र परीक्षण भी किया गया। चार पहिया वाहन में लगी काली फिल्म निकालने की समझाईश भी दी गई । चौराहों/तिराहों में प्रचार वाहन के माध्यम से पैदल यात्रियों, दो पहिया, चार पहिया एवं ऑटो चालकों को यातायात के नियमों के बारे में समझाईश दी गई। पन्ना तिराहा, बस स्टैण्ड, माधव नगर गेट पर वाहन चालकों को वाहन टर्न करते समय हाथ एवं इंडीकेटर उपयोग के संबंध में समझाईश दी गई ।

वर्ष 2017 में 28वॉं सड़क सुरक्षा सप्ताह में शिक्षा विभाग द्वारा 14 स्कूलों/विद्यालयों में 2300 छात्र–छात्राओं को समझाईश दी गई । स्वास्थ्य विभाग द्वारा बस स्टैण्ड में चार पहिया, ऑटो, बस–ट्रक चालकों का नेत्र परीक्षण भी किया गया। शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों को ब्रीथ एनालाईजर द्वारा श्वांस परीक्षण किया गया। चार पहिया वाहन में लगी काली फिल्म निकालने की समझाईश भी दी गई। चौराहों/तिराहों में प्रचार वाहन के माध्यम से पैदल यात्रियों, दो पहिया, चार पहिया वाहन चालकों एवं आटो चालको को यातायात के नियमों के बारे में समझाईश दी गई । पन्ना तिराहा, बस स्टैण्ड, माधव नगर गेट पर वाहन चालकों को वाहन टर्न करते समय हाथ एवं इंडीकेटर उपयोग के संबंध में समझाईश दी गई ।

अवर सचिव/अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग

उप पुलिस अधीक्षक
पी.टी.आर.आई., पु. मु., भोपाल